

**No.19030/1/2008-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure**

New Delhi, the 19th May, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Entitlement for accommodation entitlements of officers of the level of of Special Secretary to the Government of India while on official tours abroad.

The undersigned is directed to invite reference to this Ministry's O.M.No.10/2/98-IC & No.19030/2/97-E.IV dated the 17th April, 1998 wherein it was decided that in case of International travels and officers of and above the level of Secretaries to the Government of India and of equivalent status shall be entitled to travel by first class, officers of the level of Additional Secretaries and Joint Secretaries and of equivalent status by Business/Club class and all other officers by Economy class.

2. It is clarified that in the case of International Travel, The Special Secretary in the scale of Rs.26,000/- may be treated equivalent to Secretary to the Govt of India to Travel by First Class.


(KARAN SINGH)

Under Secretary to the Govt of India.

To

Shri. B Srinivas,
Director(F&MCT)
DOPT(Training Division),
NEW DELHI

Copy to :-

All Ministries/Departments of Govt. of India etc.,


(KARAN SINGH)

Under Secretary to the Govt. of India

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

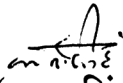
नई दिल्ली, दिनांक 19 मई, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विदेश में सरकारी दौरों के समय भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के अधिकारियों की आवास हकदारी के लिए पात्रता।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के का.ज्ञा.सं. 10/2/98-आई.सी. और सं. 19030/2/97 संस्था IV का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के मामले में भारत सरकार के सचिवों और उसके ऊपर के अधिकारियों और इनकी समकक्ष हैसियत के अधिकारियों की प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा के हकदार होंगे तथा अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों तथा समकक्ष हैसियत के अधिकारियों की बिजनेस/क्लब श्रेणी द्वारा तथा अन्य सभी अधिकारी इकॉनामी श्रेणी द्वारा यात्रा के हकदार होंगे।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में, 26,000/- रुपए के वेतनमान में विशेष सचिव को प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले भारत सरकार के सचिव के समतुल्य माना जाए।


(करन सिंह)

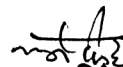
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

बी. श्रीनिवास,
निदेशक (एफ एण्ड एमसीटी)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (प्रशिक्षण प्रभाग)
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।


(करन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार